अल्पकालीन निविदा संख्या................................/वाहन निविदा/2023–24

निविदा–प्रपत्र

(1) निविदा सूचना

कार्यक्रम निदेशालय राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, कपूर टॉवर, चतुर्थ तल, गॉधी पार्क के सामने, देहरादून हेतु टैक्सी के रूप में पंजीकृत वाहनों की मासिक एवं दैनिक किराये पर आपूर्ति दिनांक 31–03–2024 तक की अवधि हेतु टू बिड प्रणाली के अन्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों के अधीन निविदा आमन्त्रित की जाती है।

- निविदा मूल्य : रू 500.00 प्रति निविदा, जिस पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 पृथक से देय होगा।
- निविदा की जमा करने की अन्तिम तिथि व समय– दिनांक 23–06–2023 सांय 04 बजे तक
- तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय– दिनांक 24–06–2023 अपरान्ह 12 बजे
- वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय– दिनांक 24–06–2023 अपरान्ह 03 बजे

(2) निविदा हेतु नियम एवं शर्तें :–

1. निविदायें **दिनांक–23–06–2023** तक विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। सीलड निविदा दिनांक 23–06–2023 को अपरान्ह 04 बजे कार्यक्रम निदेशालय में जमा की जा सकेगी। निविदा दिनांक 24–06–2023 को अपरान्ह 12 बजे निविदादाताओं के सम्मुख खोली जाएगी। किसी भी कारण से नियत तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।
2. निविदादाता को तकनीकी निविदा (वांछित अभिलेख) तथा वित्तीय निविदा (BOQ) पृथक –पृथक लिफाफो में लिखते हुए जमा करनी होगी।
3. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा को सक्षम समिति/प्राधिकारी द्वारा विहित तारीख एवं समय पर खोला जायेगा। तकनीकी दृष्टि से अर्ह आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार की जायेगी। केवल उन्ही निविदादाताओं की वित्तीय निविदा को (BOQ) खोला जायेगा, जिन्होंने तकनीकी निविदा में अर्हता प्राप्त की है तथा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं (निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त) पर विचार नहीं किया जायेगा एवं उन्हें निरस्त माना जायेगा।
4. विभाग में उपलब्ध कराने वाला वाहन वर्ष 2019 मॉडल एवं उससे आगे अथवा अधिकतम 20000 किमी से कम चला मान्य होगा।
5. आपूर्ति की जाने वाला वाहन उचित गुणवत्ता (Excellent condition) वाला होना चाहिये। वाहन के टायर, बैटरी, हेड लाइट बीम, ब्रेक इन्डीकेटर, वाइपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त ऐससरीज उत्कृष्ठ गुणवत्ता के होने चाहिये ।
6. वाहन नियमानुसार सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी के रूप में पंजीकृत होने चाहिये तथा अनुबन्ध की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा पंजीयन,

ह0 निविदादाता व मुहर

परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिये। पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटरवाहन कर, बीमा,चालक/स्टाफ की वर्दी (सफेद सफारी सूट, पी कैप) चालक लाइसेंस आदि पर सभी प्रकार के सम्बन्धित व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे। आपूर्ति किये जाने वाले वाहन मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत आल इंडिया परमिट से आच्छादित होना चाहिये। किसी भी निजी वाहन (नान ट्रांसपोर्ट व्हिाकेल) की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

7. वाहन पर तैनात किये जाने वाला चालक, वैध व्यवसायिक लाइसेंसधारक होना चाहिये। तथा चालक का ड्यूटी के दौरान नियमानुसार वर्दी में होना आवश्यक है। वाहन का चालक वाहन चलाने की दृष्टि से ह्रस्ट–पुष्ट (मेडिकली फिट) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिये। चालक का आचरण मृदुभाषी अनुशासित होना अपरिहार्य है।
8. आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे चालक जो नशे के सेवन का अभ्यस्त हो, को वाहन पर किसी भी दशा में सेवायोजित नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार ऐसे चालक जो नशे का सेवन कर वाहन चलाने अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा किसी पुलिस वाद आदि में दोषी पाया गया हो, को भी वाहन में कदापि सेवायोजित नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा किसी चालक के सम्बन्ध में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
9. परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड अथवा सम्बन्धित पंजीयनकर्ता प्राधिकारी अथवा विभाग के अधिकारी द्वारा वाहन चालक जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ है अथवा उसका आचरण एवं कार्य संतोषजनक नही है, को हटाने हेतु आपूर्तिकर्ता को निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता को तत्काल दूसरे चालक की व्यवस्था करनी होगी ।
10. विभाग मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा मुआवजा एवं अन्य विधिक औपचारिकताओं का अनुपालन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।
11. मुख्यालय से भी बाहर की यात्राओं के दौरान आपूर्तिकर्ता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो, ताकि यात्रा के दौरान ईंधन मरम्मत अथवा वाहन सम्बन्धी अन्य व्यय किये जा सकें।
12. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार के खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो सम्बन्धित

ह0 निविदादाता व मुहर

विभाग आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिये अधिकृत होगा, जिसका वास्तविक व्यय आपूर्तिकर्ता के बीजक में से समायोजित कर लिया जायेगा।

13. दैवीय आपदा, अन्य विभिषिकाओं के लिए विभाग जिम्मेदार न होगा किन्तु इसकी सूचना सम्बन्धित पक्षकार को देना आवश्यक होगा।

14. किसी विवाद की स्थिति में इसका निस्तारण Indian Arbitration and reconcillation Act वर्ष 1996 यथा संशोधित 2016 के तहत देहरादून में होगा तथा आर्बीट्रेटर की नियुक्ति की जायेगी।

15. आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि से सम्पर्क रखा जायेगा तथा ड्यूटी के समयबद्ध संचालन हेतु उनके द्वारा दिये गये अनुदेशों का पालन किया जायेगा वाहन चालक को अनिवार्य रूप से मोबाईल फोन रखना होगा।

16. वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुनः ठेके (sub-let) पर नहीं दिया जायेगा।

17. ईंधन की आपूर्ति फर्म के द्वारा वहन की जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को वाहन में नियमित रूप से लॉगबुक रखना आवश्यक होगा, और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्टि करते हुये उसे सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित कराना होगा।

18. वाहन में नियमानुसार स्टैपनी, टूलकिट, फर्स्ट एड बौक्स, आग बुझाने का यंत्र भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।

19. यदि विभिन्न फर्मों के द्वारा प्रेषित न्यूनतम रेट विभिन्न मदों के लिए पृथक–पृथक L1 आते हैं, तो वाहन हेतु मासिक किराये के L1 होने वाली फर्म को अन्य दैनिक किराये रेट की मदों में प्रस्तुत किये गये L1 दरों तक अपनी निविदा कम करने हेतु अवसर दिया जायेगा एवं उसकी सहमति होने पर सम्पूर्ण आपूर्ति का कार्य एक ही फर्म को दिया जायेगा अन्यथा की दशा में प्रत्येक फर्म को जिन मदों में दरें L1 है उन्हीं की आपूर्ति हेतु पृथक–पृथक आपूर्ति करने का कार्य–आदेश जारी किया जायेगा।

20. निविदा की अवधि वर्तमान में दिनाँक 31.03.2024 तक होगी तथापि उसके उपरान्त निविदा की अवधि सन्तोषजनक सेवा होने पर आपसी सहमति के आधार पर बढ़ायी जा सकती है।

21. भुगतान की विधि :–

(1) कार्य की पूर्ति पर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को उसके द्वारा प्रस्तुत बिल एवं लॉग बुक की प्रमाणित छायाप्रति के आधार पर भुगतान विभाग द्वारा मासिक आधार पर

ह0 निविदादाता व मुहर

किया जायेगा। जी0एस0टी0 का भुगतान पृथक से नियमानुसार विभाग द्वारा किया जायेगा तथा नियमानुसार टी0डी0एस0 की कटौतियां की जायेगी।

(2) सभी प्रकार के टोल टैक्स प्रवेश कर पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा किया जायेगा।

(3) अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदेशों के कर आदि का भुगतान आापूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा किया जायेगा।

22. सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शर्तें/दर अनुबंध का निरस्तीकरण

निम्नलिखित अवसरों पर कार्य प्रभारित प्रतिभूति को जब्त करते हुये निविदा को समाप्त कर दिया जायेगा।

(1) यदि आपूर्तिकर्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

(2) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवायें संतोषजनक नही है।

(3) वाहन की आवश्यकता माह में सभी दिनों पर प्रातः 9.00 से 8.00 रात्रि तक सामान्यतः होगी। माह में 01 दिन (माह में एक) का अवकाश वाहन के अनुरक्षण हेतु दिया जायेगा। रात्रि चार्ज निर्धारित समयावधि के पूर्व अथवा पश्चात् पर रू0 .... प्रतिदिन की दर से देय होगा, जो माह में अधिकत्तम 15 दिन होगा।

(4) वाहन चालक/स्वामी द्वारा निविदा की शर्तों का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जायेगा एवं प्रत्युत्तर असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं परफॉरमेन्स सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी।

(5) योजित किये जाने वाले वाहन अनिवार्य रूप से वर्ष 2019 से या उसके आगे अथवा अधिकतम 20000 किमी से कम चला के मॉडल के रूप में व्यवसायिक श्रेणी में पंजीकृत होने चाहिये तथा सभी वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण होने एवं उनका पालन किये जाने का दायित्व निविदादाता का होगा।

23. निविदादाता को निविदा के साथ EMD के रूप में **रू0 10,000/— (रुपये दस हजार मात्र)** का सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो मुख्य कार्यक्रम निदेशक राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना देहरादून के पक्ष में देय हो, तथा तीन माह हेतु वैध हो, को संलग्न करना अनिवार्य है। असफल निविदादाता की EMD राशि, निर्णय होने पर वापिस की जायेगी।

24. निविदादाताओं को तकनीकी निविदा के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ह0 निविदादाता व मुहर

I- फर्म के नाम का आयकर विभाग का PAN नम्बर तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2021–22 तक के आयकर रिटर्न की छाया प्रति।

II- जी0एस0टी0 विभाग द्वारा फर्म के नाम जारी GST नम्बर की छायाप्रति।

III- निविदादाता/फर्म एवं वाहन का परिवहन विभाग में पंजीकरण का प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

IV- निविदादाता/फर्म द्वारा सर्विस टैक्स हेतु पंजीकरण का प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

V- मांगे गये वाहनों के मॉडल के न्यूनतम 02 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निविदादाता/फर्म अथवा उनके पारिवारिक सदस्य के नाम होना आवश्यक होगा, जिसकी प्रति तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी। सभी वाहनों का मॉडल 2019 वर्ष या उसके पश्चात् के होने चाहिये। इसकी प्रति संलग्न भी करें।

VI- दरों की वैधता की पुष्टि करते हुये रू0 100.00 का इंडियन नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर, जिसमें निविदादाता का हस्ताक्षर हो।

VII- EMD की धनराशि का CDR/FDR/NSC मूल रूप में।

VIII- निविदादाता फर्म द्वारा विगत दो वर्षों का किसी राजकीय विभाग अथवा संस्थान में संतोषजनक कार्य अनुभव होना आवश्यक है जिस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

25. वित्तीय निविदा प्रस्तुत करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखें :–

1. मासिक आधार पर योजित किये जाने पर वित्तीय निविदा शुद्ध मासिक किराया का अंकन किया जाये। डीजल की कीमत की प्रतिपूर्ति अंकित औसत के आधार पर गणना कर उस माह के डीजल रेट के आधार पर पृथक से की जायेगी।
2. दैनिक आधार पर योजित वाहन को न्यूनतम 40/80 किमी0 प्रतिदिन की यात्रा के आधार पर डीजल सहित रेट प्रस्तुत किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक चलने पर वित्तीय निविदा प्रारुप के अनुसार प्रति किमी0 अतिरिक्त से देय होगा।
3. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी तथा दरें समान होने पर नवीनतम मॉडल के वाहन को वरीयता दी जायेगी।

26. निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्यक्रम निदेशालय, देहरादून का होगा, निविदा कारण बताये बिना भी निरस्त की जा सकती हैं। किसी भी विवाद में कार्यक्रम निदेशालय, देहरादून का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

27. सफल निविदादाता को रू0 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध की अवधि **31.03.2024** तक के लिए मान्य होगी, सक्षम अधिकारी विशेष परिस्थितियों में इसे आगे की अवधि हेतु भी बढ़ाये जाने पर विचार कर सकता है। अनुबन्ध के साथ रू0 25,000/–(रू0 पचीस हजार मात्र) की प्रतिभूति FDR/NSC/Bank

ह0 निविदादाता व मुहर

Guarantee के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जो मुख्य कार्यक्रम निदेशक, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, देहरादून में Payble होगा। पूर्व प्रेषित EMD को इसमें समायोजित किया जा सकता है एवं उसकी वैधता न्यूनतम अनुबन्ध अवधि के तीन माह पश्चात तक होगी।

28. निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी प्रपत्र व प्रमाण पत्रों को निविदादाता द्वारा स्वयं सत्यापित किया जायेगा तथा निविदा के साथ उन्हीं प्रपत्रों को संलग्न किया जाए, जिनकी मांग उक्तानुसार की गयी है। अनावश्यक प्रपत्रों को निविदा के साथ संलग्न न किया जाए।

ह0 निविदादाता व मुहर

3–तकनीकी निविदा प्रारूप

1.	निविदादाता / फर्म का नाम व पूरा पता	
2.	फर्म की ई–मेल आई0डी0	
3.	निविदादाता फर्म का जी0एस0टी0 पंजीयन संख्या (GSTIN No.)	
4.	निविदादाता फर्म का आयकर PAN No	
5.	वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2021–22 में जमा की गयी आयकर विवरणी की प्रतिलिपि संलग्न करें।	
6.	फर्म के परिवहन विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र ।	
7.	फर्म / प्रोपराइटर अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम वांछित वाहनों में से कम से कम 02 गाड़ियां पंजीकृत होनी अनिवार्य होंगी यह गाड़ियां वर्ष 2019 या उससे आगे के मॉडल की होंगी (प्रमाण पत्र के रूप में RC की प्रति संलग्न)	
8.	निविदा फार्म के साथ संलग्न की गई रू0 10,000 धनराशि की EMD का विवरण CDR/FDR/NSC संख्या–	
9.	निविदा प्रपत्रों के सम्पूर्ण पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर उसकी मूल प्रति।	
10.	दरों की वैधता की पुष्टि करते हुये रू0 100.00 का इंडियन नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर, जिसमें निविदादाता का हस्ताक्षर हो।	
11.	विगत दो वर्षों का संतोषजनक कार्य का अनुभव जोकि सर्वप्रथम इस विभाग का हो अन्यथा की दृष्टि में किसी अन्य विभाग / संस्थान का हो (प्रमाण पत्र, संलग्न करें)	

ह0 निविदादाता व मुहर

घोषणा

आपके कार्यालय के विज्ञापन दिनांक..............................के सन्दर्भ में आपके कार्यालय में मासिक/दैनिक आधार पर छोटे वाहनों की आपूर्ति हेतु नियम व शर्तें क्र0 सं0 01 से 28 तक पढ़ ली हैं, जिसके आधार पर आपूर्ति करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ तथा साथ ही आर्नेस्टमनी के रूप में रू0 .... मात्र की ....संख्या .... दिनांक .... बैंक.. संलग्न है। यदि निविदा की शर्तों का पालन नहीं करते हैं अथवा ठेके को हस्ताक्षरित नहीं करते हैं तो जमा अर्नेस्टमनी को उत्तराखण्ड शासन के पक्ष में जब्त कर ली जाय। जो कि प्लेज्ड (pledged) की हुई है। इसका उत्तर दायित्व स्वयं मेरा/हमारा होगा।

दिनांक : ....

निविदादाता के हस्ताक्षर–
प्रतिनिधि का नाम–
दूरभाष संख्या–
मोबाइल–

निविदा का क्रमांक :–

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर :–

ह0 निविदादाता व मुहर

4–वित्तीय निविदा प्रारूप

वित्तीय निविदा (पृथक लिफाफे में सील करें)

मासिक किराया				
क्र0	वाहन का नाम	स्थान	औसत प्रतिकिमी	मासिक किराया
1.	सेलेरियो / समकक्ष ए0सी0	पहाड़ी	13	
		मैदानी	15	
2.	स्विफ्ट डिजायर / समकक्ष ए0सी0	पहाड़ी	12	
		मैदानी	14	
3	बोलेरो / समकक्ष ए0सी0	पहाड़ी	09	
		मैदानी	10	
4.	स्कार्पिओ / समकक्ष ए0सी0	पहाड़ी	09	
		मैदानी	10	
5.	इनोवा / समकक्ष ए0सी0	पहाड़ी	09	
		मैदानी	10	
6.	इनोवा क्रिस्टा ए0सी0	पहाड़ी	09	
		मैदानी	10	
योग				

दैनिक किराया					
क्र0 स	वाहन का नाम	स्थान	किराया प्रतिकिमी0 अतिरिक्त	दैनिक किराया 80 किमी0 / 08 घण्टे / प्रतिदिन	अतिरिक्त चार्ज प्रति घण्टा
1.	सेलेरियो / समकक्ष ए0सी0	पहाड़ी			
		मैदानी			
2.	स्विफ्ट डिजायर / समकक्ष ए0सी0	पहाड़ी			
		मैदानी			
3	बोलेरो / समकक्ष ए0सी0	पहाड़ी			
		मैदानी			
4.	स्कार्पिओ / समकक्ष ए0सी0	पहाड़ी			
		मैदानी			
5.	इनोवा / समकक्ष ए0सी0	पहाड़ी			
		मैदानी			
6.	इनोवा क्रिस्टा ए0सी0	पहाड़ी			
		मैदानी			
योग					

ह0 निविदादाता व मुहर

1. यह भी प्रमाणित करता हूँ कि निविदा की सभी शर्तें एवं नियम तथा आवश्यक सूचनाओं को पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा बिना शर्त संलग्न दरें दे रहा हूँ। कृपया संलग्न अंकित दरों को स्वीकृत करने का कष्ट करें ।
2. दैनिक आधार पर योजित वाहनों में निर्धारित किमी0 से अधिक चलने पर वित्तीय निविदा प्रसरुप के अनुसार प्रति किमी0 अतिरिक्त देय होगा।
3. मासिक किराये एवं दैनिक किराये पर कुल योग के आधार पर पृथक–पृथक L1 निर्धारित किया जायेगा।

फर्म स्वामी के हस्ताक्षर एवं मोहर...............................

दिनांक..

ह0 निविदादाता व मुहर